न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन न0 **304/2021**

प्रार्थीगण :– 1. खेतूबाई बेवा किशोरदान
2. दिलीपदान पुत्र किशोरदान
3. शंभूदान पुत्र किशोरदान
4. देवीदान पुत्र किशोरदान
5. गोरधनदान पुत्र किशोरदान जातियान चारण निवासी बागुण्डी, तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थी :–

1. जीवाराम पुत्र किरताराम
2. पुरखाराम पुत्र किरताराम
3. चम्पादेवी बेवा किरताराम जातियान जाट, निवासीयान गुगरी, पटवार हल्का आकडली, तहसील पचपदरा जिला बाडमेर।
4. बाबूलाल पुत्र भूराराम जाति सुथार, निवासी बागुण्डी, तहसील पचपदरा
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा, जिला बाडमेर।

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू0–राजस्व अधिनियम

अधिवक्तागण :– **1. श्री करणसिंह प्रार्थीगण वकील**
2. श्री रतनलाल विप्रार्थी संख्या –04

'आदेश'

दिनांक :– 14.07.2023

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सक्षिप्त तथ्य है कि सरहद मौजा गूगरी , पटवार हल्का आकडली, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दूधवा तहसील पचपदरा के खसरा संख्या 166/82 रकबा 163 बीघा भूमि के खातेदार कृषक है । विप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 मौजा गूगरी प[illegible] आकडली के खसरा संख्या 166/82 के विभाजन उपरांत उक्त [illegible] डी की सडक जो गांव बागुण्डी के मलवा गुजरती है, के वर्तमान राजस्व रेकर्ड के पडोसी [illegible] खसरा संख्या 130/43 व 46 के खातेदार कृषक है। विप्रार्थी सं. 5 भूमिधारी व आवश्यक पक्षकार होने से इन्हे पक्षकार विप्रार्थीगण दर्ज कर यह आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है । विवादित आराजी मूल खसरा संख्या 82 के विभाजन से बने खसरान की है । प्रार्थीगण खसरा संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.01 22:19:58 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

166/82 के अभिलिखित खातेदार है, मूल खसरा सं. 82 मे से पी.डब्लू.डी. की डामर सडक जो ग्राम बागुण्डी से मलवा गुजरती है, निकलने से उक्त खसरा विभाजित हो गया जिससे मूल खसरा संख्या 82 के बटटा नंबर कायम हुए जो कमशः 166/82 व 167/82 बने। मूल खसरा संख्या 82 मे से बागुण्डी से मलवा जाने वाली पी.डब्लू.डी. की डामर सडक का राजस्व रेकर्ड नक्शे मे अंकन त्रुटिपूर्ण किया गया, मौके पर सडक जिस स्थान पर मौजुद है, नक्शे मे तरमीम उससे भिन्न स्थान पर की गयी है । जिसके कारण प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 166/82 की मौके पर कुछ भूमि उक्त सडक के बदिशा पश्चिम मे शेष रह गयी जिसका अंकन राजस्व रेकर्ड नक्शे मे नही किया गया जबकि उक्त सडक के त्रुटिपूर्ण अंकन से मौके पर आज भी प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि विद्यमान है । विवादित आराजी की भूमि का रकबा सडक के पूर्व व पश्चिम दोनो तरफ मौके पर है, जिसका अंकन मौके की स्थिति अनुसार नक्शे व जमाबंदी मे भी करवाया जाने आवश्यक होने से प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर संलग्न प्रस्तुत नजरी नक्शा परिशिष्ट "अ" अनुसार राजस्व रेकर्ड नक्शे मे उक्त सडक की गलत तरमीम को वास्तविक मौका स्थिति अनुसार दुरूस्त करने तथा प्रार्थीगण की उक्त सडक के बदिशा पश्चिम मे निकल रही शेष भूमि के अलग से खसरा संख्या व रकबा दर्ज कर जमाबंदी को दुरस्त करने करने का निवेदन किया ।

प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को नोटिस भिजवाये गये। विप्रार्थी संख्या 1 ता 3 को जारी रजिस्टर्ड नोटिस बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने पर उक्त के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी । विप्रार्थी संख्या – 04 के वकील उपस्थित जिन्हे जबाब प्रस्तुत करने हेतु कई अवसर दिये जाने के बावजूद भी उनकी तरफ से जबाब पेश नही किया गया । लिहाजा विप्रार्थी संख्या 04 का जबाब बंद किया गया ।

हमनें विद्ववान अधिवक्तागण की बहस सुनी । प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस मे कथन किया कि मौजा गूगरी , पटवार हल्का आकडली, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दूध[illegible] पचपदरा के खसरा संख्या 166/82 रकबा 163 बीघा मूल खसरा सं. 82 के बटटा नंबर [illegible] हुए जो कमशः 166/82 व 167/82 कायम हुए। मूल खसरा संख्या 82 मे से बागुण्डी से मलवा जाने वाली पी.डब्लू.डी. की डामर सडक का राजस्व रेकर्ड नक्शे मे अंकन त्रुटिपूर्ण किया गया, मौके पर सडक जिस स्थान पर मौजुद है, नक्शे मे तरमीम उससे भिन्न स्थान पर की गयी है । जिसके कारण प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 166/82 की मौके पर कुछ भूमि उक्त सडक

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.01 22:19:58 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

बदिशा पश्चिम मे शेष खातेदारी भूमि विद्यमान है। उक्त सडक के त्रुटिपूर्ण अंकन से प्रार्थीगण के विवादित आराजी की भूमि का रकबा सडक के पूर्व व पश्चिम दोनो तरफ मौके पर है, जिसका अंकन मौके की स्थिति अनुसार नक्शे व जमाबंदी मे भी करवाया जाने आवश्यक होने से प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर संलग्न प्रस्तुत नजरी नक्शा परिशिष्ट ''अ'' अनुसार राजस्व रेकर्ड नक्शे मे उक्त सडक की गलत तरमीम को वास्तविक मौका स्थिति अनुसार दुरूस्त करने तथा प्रार्थीगण की उक्त सडक के बदिशा पश्चिम मे निकल रही शेष भूमि के अलग से खसरा संख्या व रकबा दर्ज कर जमाबंदी को दुरस्त करने करने का निवेदन किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 ता 3 एकपक्षीय । विप्रार्थी संख्या संख्या 04 की और से वकील की और कोई जबाब/बहस के तथ्य प्रस्तुत नहीं किये जाने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने मे मौन स्वीकृति प्रतीत होती है ।

हमने पत्रावली मे प्रस्तुत संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया गया। दस्तावेजात मे प्रार्थीगण की और से प्रस्तुत फर्द मौका सीमाज्ञान के अवलोकन से स्पष्ट से है की लट्ठा ट्रेस मे सडक की तरमीम मौके पर चल रही सडक से भिन्न है । जिससे बाद अवलोकन समूचित स्थिति पर विवेचन करने के उपरान्त प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में किसी प्रकार की आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि सरहद मौजा गूगरी , पटवार हल्का आकडली, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दूधवा तहसील पचपदरा के खसरा संख्या 166/82 रकबा 163 बीघा भूमि के पटवारी रिपोर्ट फर्द मौका सीमाज्ञान को स्वीकार कर उक्त विवादित गलत तरमीम जांच कर मौके की स्थिति अनुसार शुद्व करे, एवं सडक निर्माण व पी.डब्लू.डी डामर सडक का रकबा अप्रभावित रहेगा। तहसीलदार पचपदरा उक्त आदेश की पालना कर रिपोर्ट पालना रिपोर्ट न्यायालय मे पेश करे ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.01 22:19:58 IST
Reason: SelfAttested

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 14.7.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा